न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	तामील हुए
	राजस्व वाद / [illegible] उनवान	
28/10/25	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप. पीठासीन अधिकारी राजकार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते मौका पर्चा पेश दिनांक 25/11/25 को पेश हो। [illegible]	
25/11/25	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप. पीठासीन अधिकारी राजकार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते मौका पर्चा पेश दिनांक 07/1/2026 को पेश हो।	
07/1/26	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप. पीठासीन अधिकारी राजकार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते मौका पर्चा पेश दिनांक 28/1/26 को पेश हो।	
28/1/26	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी द्वारा मौका पर्चा की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की जो शा. मि. वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र 111/128 LR Act पर बहस सुनी गई प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से तैयार कर पत्रावली के शा. मि. पत्रावली फैसल कर शुमार होकर [illegible] हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी श्री रजत यादव (आई.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 48/2024

1. उषा देवी पत्नि बजरंगलाल सवासिया उम्र बालिग
2. रामनिवास पुत्र भंवरलाल उम्र बालिग
3. नाबालिग विजय परसोया पुत्र भागचन्द रेगर सरंक्षक माता मेढ़ा देवी
4. ओमप्रकाश पुत्र सुखदेव उम्र बालिग
5. दीपक परसोया पुत्र हरदीन परसोया उम्र बालिम
6. मुकेश पुत्र हरदीन उम्र बालिग
7. मनीराम पुत्र भंवरलाल उम्र बालिग
8. मनोज कुमार पुत्र हजारी उम्र बालिग
9. राकेश कुमार पुत्र हजारी उम्र बालिग
10. रामगोपाल पुत्र भंवरलाल उम्र बालिग
11. रामजीलाल पुत्र भंवरलाल उम्र बालिग
12. इन्द्रा पुत्री सुखदेव उम्र बालिग
13. सेठिया देवी पुत्री हरदीन उम्र बालिग
14. सुमन पुत्री हरदीन उम्र बालिग
15. सीमा देवी पुत्री हरदीन उम्र बालिग
16. जनता देवी पत्नि हरदीन उम्र बालिग
17. नाबालिग ज्योती पुत्री भागचन्द रेगर सरंक्षक माता मैना देवी
18. नाबालिग पूनम वर्मा पुत्री भागचन्द रेगर सरंक्षक माता मैना देवी
19. मैना देवी पत्नि भागचन्द रेगर उम्र बालिग सर्व जाति रेगर सर्व निवासी ग्राम ढाणी पुरोहितान तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
20. हरीप्रसाद पुत्र हजारी जाति रेगर उम्र बालिग निवासी लुहार कॉलोनी, मदनगंज–किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. गीता पुत्री बाबूलाल
2. पवन कुमार पुत्र कानाराम
3. मैना देवी पत्नि कानाराम
4. मिठूलाल पुत्र जैराम
5. रविकुमार पुत्र कानाराम
6. राजेंद्र कुमार पुत्र कानाराम
7. रामेश्वरी पत्नि बाबूलाल
8. ललिता पुत्री बाबूलाल
9. लीला पुत्री बाबूलाल
10. सुनिता पुत्री बाबूलाल
11. अजमलचन्द पुत्र रामेश्वर
12. कालूराम परसोया पुत्र मंगल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

चिता देवी पुत्री मंगल
14. ज्ञानचन्द पुत्र रामेश्वर
15. फुला देवी पुत्री मॅंगल
18. बंशी पुत्र भैरू
17. सननालता पुत्री मैंगल
18. सायरी देवी पत्नि मॅगल
19. अशोंक पुत्र सायर
20. आचुकी देवी पुत्री गणपत
21. कैलाश पुत्र मांगीलाल
22. कैलाश पुत्र सायर
23. गीता पत्नि प्रभूदयाल
24. गोरधन पुत्र मांगीलाल
25. जस्या पुत्री अर्जुन
26. धनराज पुत्र चंदाराम
27. नगीना पुत्री प्रभूदयाल
28. पप्पू पुत्र अर्जुन
29. प्रेम पत्नि मांगीलाल
30. बजरंग पुत्र चंदाराम
31. मदन पुत्र अर्जुन
32. महेन्द्र पुत्र मांगीलाल
33. माया पुत्री प्रभूदयाल
34. मोहन पुत्र बीजा
35. रूकमणी पत्नि गणपत
36. राजी देवी पुत्री गणपत
37. रामकिशन पुत्र चंदाराम
38. रामानन्द पुत्र प्रभूदयाल
39. लछमा देवी पुत्री गणपत
40. लीला देवी पुत्री चंदाराम
41. शंकर पुत्र बीज
42. शारदा पुत्र अर्जुन
43. शिवप्रसाद पुत्र चंदाराम
44. शिवराज पुत्र अर्जुन
45. संतोष पुत्री गणपत
46.सुप्यार पुत्री सायर
47. सुमन पुत्री प्रभूदयाल
48.सीता पत्नि सायर
49. हरि पुत्र गणपत
50. हंसराज पुत्र चंदाराम

सर्व जाति रेगर सर्व निवासी ग्राम ढाणीपुरोहितान तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

51. अजमेर विकास प्राधिकारण, अजमेर जरिये आयुक्त/ सचिव महोदय, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर जिला अजमेर राजस्थान।

52. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री जितेन्द्र शर्मा

निर्णय दिनांक 28.01.2026

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता श्री जितेन्द्र शर्मा के द्वारा अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजी ग्राम ढाणी पुरोहितान पटवार हल्का ढाणी पुरोहितान तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है जो निम्न प्रकार है कि (1) प्रार्थीगण की सहखातेदारी आराजी खसरा नम्बर 100 रकबा 0.0485 हैक्टेयर है जिसके अडौस पडौस निम्न प्रकार से है कि उत्तर :– खसरा नम्बर 527/96 जो प्रार्थीगण की आराजीयात है, दक्षिणः खसरा नम्बर 448/100 गै० मु० नाला, पूर्व :– खसरा नम्बर 527/96 जो प्रार्थीगण की आराजीयात है, पश्चिम :– खसरा नम्बर 444/98 जो अप्रार्थी संख्या 11 से 18 की आराजीयात है। (2) प्रार्थीगण की सहखातेदारी आराजी खसरा नम्बर 491/100 रकबा 0. 0809 हैक्टेयर है जिसके अडौस पडौस निम्न प्रकार से है कि।उत्तर :– खसरा नम्बर 448/98 गै० मु० नाला,दक्षिणः– खसरा नम्बर 449/100 गै० मु०रास्ता, पूर्व :–खसरा नम्बर 445/100 जो अप्रार्थी संख्या 19 से 50 व कुछ प्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजीयात है। पश्चिम ख़सरा नम्बर 447/100 जो अप्रार्थी संख्या 1 से 10 की आराजीयात है। (3) प्रार्थीगण की सहखातेदारी आराजी खसरा नम्बर 527/96 रकबा 0. 4045 हैक्टेयर है जिसके अडौस पडौस निम्न प्रकार से है कि उत्तर :– ग्राम किशनगढ़ बी (मदनगंज) की सीमा, दक्षिण खसरा नम्बर 100 प्रार्थीगण की भूमि, पूर्व खसरा नम्बर 524/96 प्रार्थीगण की आराजी, पश्चिम खसरा नम्बर 444/98 (अप्रार्थी संख्या 11 से 18 की आराजी) एवं खसरा नम्बर 97 (अप्रार्थी संख्या 1 से 10 की आराजी) (4) प्रार्थीगण की सहखातेदारी आराजी खसरा नम्बर 524/96 रकबा 0. 3479 हैक्टेयर है जिसके अडोस–पडौस निम्न प्रकार से है कि :–उत्तर :– ग्राम किशनगढ़ बी (मदनगंज) की सीमा, दक्षिण–खसरा नम्बर 448/100 गै०मु० नाला, पूर्व खसरा नम्बर 96 प्रार्थी संख्या 1 की आराजी, पश्चिम खसरा नम्बर 527/96 प्रार्थीगण की आराजी, उपरोक्त सीमा मध्य स्थित कृषि भूमि उपरोक्त सीमा मध्य के स्थित है जो संलग्न नजरी नवशा/राजस्व ट्रेस के अनुसार प्रार्थना पत्र में चतुर्थ सीमा में स्थित खातेदारान को पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रार्थीगण संयुक्त रूप से ग्राम ढाणी पुरोहितान के खसरा नम्बर 100, 491/100, 527/96, 524/96 की भूमि है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 50 द्वारा आये दिन सींव (सीमा) को लेकर विवाद करते रहते है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 50 एवं परिवारजन के द्वारा प्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि की सींव उखाड़ने पर आमादा हो जाते है एवं प्रार्थीगण की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थीगण काफी परेशान है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 50 द्वारा आये दिन प्रार्थीगण की आराजी की मेड़, सींव, नींव को लेकर विवाद उत्पन्न करके प्रार्थीगण की आराजी में ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा हो गये। तत्पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 100, 491/100, 527/96, 524/96 का सीमाज्ञान हेतु आवेदन किया गया जो प्रार्थीगण के आवेदन के पश्चात् उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि का दिनांक 22.02.2024 को सीमाज्ञान किया गया, जिसकी फोटो प्रति संलग्न है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 50 एवं उनके परिवारजन के द्वारा सीमा चिन्ह (मेड़) को हटाते हुए प्रार्थीगण की सह–खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में ब्लात अतिचार करने पर आमादा हो जाते है। जिससे प्रार्थीगण की आराजी में पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है चुंकि प्रार्थीगण एवं मौके पर बार–बार आकर अप्रार्थीगण द्वारा अवैधानिक कृत्य को रोका जाना संभव नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक हुआ है। जिससे सीमाओं का विवाद समाप्त हो सकता है एवं सीमाओं को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो इस कारण से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा सद्भाविक रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण एवं प्रार्थी संख्या 1 लगायत 50 आपस में पडौसी खातेदार है एवं अपार्थी संख्या 1 लगायत 50 एवं उनके परिवारजन के आमादा हो जाते है एवं प्रार्थीगण की आराजी पर ब्लात अतिचार. द्वारा बिजाई बुवाई के दिनों में प्रार्थीगण की सींव मेड को उखाड़ने पर अतिक्रमण करने पर उतारू है। जिससे प्रार्थीगण व प्रार्थीगण का परिवार काफी परेशान है। प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय में अपनी स्वयं कि आराजी में किया गया है. प्रार्थना पत्र में सभी चतुर्थ सीमा में स्थित पड़ौसी खातेदारान चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करवाने हेतु सदभाविक रूप से प्रार्थना पत्र पेश की वस्तुस्थिती का वर्णन किया गया है एवं पक्षकार संयोजित किया गया है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित शर्तों कि व नियमो कि पालना करते हुये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण दिनांक 26.04.

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

24 को उत्पन्न हुआ की प्रार्थीगण की आराजी का सीमाज्ञान पूर्ण में दिनांक 22.02.2024 को पटवारी हल्का द्वारा किया गया परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की नींव, सीव, मेड को लेकर विवाद करने से एवं प्रार्थीगण की आराजी में मेड़, सीव, नींव को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ एवं नींव, सींव से सम्बन्धित विवाद उत्पन्न होने से प्रार्थीगण द्वारा जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करके अधिवक्ता से सम्पर्क कर उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। तब से प्रार्थना पत्र कारण निरन्तर जारी है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है तब से कारण निरन्तर जारी है। अप्रार्थी संख्या 51 भू–धारी होने से आवश्यक पक्षकार है माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना करने से पक्षकार संयोजित किया गया है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 50 प्रार्थीगण की आराजी के पड़ौसी खातेदार होने से इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित किया गया है। खातेदार कैलाश पुत्र रामेश्वर व काना पुत्र भैरू फौत होने से पक्षकार कायम नहीं किया गया है, एवं वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज अनुसार पडौसी खातेदारों को पक्षकार संयोजित किया गया है, एवं पांची देवी के फौत होने से उसके विधिक वारीसान हरिप्रसाद, मनोज व राकेश प्रार्थीगण के रूप में पक्षकार संयोजित है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में होने से श्रवणाधिकार प्राप्त है एवं प्रार्थना पत्र में मियाद जैसा प्रश्न निहित नहीं है एवं प्रार्थना पत्र पर उचित न्याय शुल्क चस्पा है एवं माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में पारित निर्णय के पश्चात् कमिश्नर नियुक्ति की विधिक शुल्क जमा करवाने हेतु प्रार्थीगण तैयार व तत्पर है। प्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजी ग्राम ढाणीपुरोहितान हल्का ढाणीपुरोहितान तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है जिसके खसरा नम्बर 100 रकबा 0.0485 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 491/100 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 527/96 रकबा 0.4045 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 524/96 रकबा 0.3479 हैक्टेयर भूमि की नजरी नक्शा /राजस्व ट्रेस/जमाबन्दी के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढ़ी करने के प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें। अप्रार्थी संख्या 51 को निर्देशित किया जावे कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना त्वरित गति से की जावे, एवं माननीय न्यायालय के आदेश की पालना हेतु सम्बन्धित थानाधिकारी महोदय, को आदेशित किया जाने के आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 07.05.2024 को दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 27.05.2025 तक भी बावजूद तामिली के अप्रार्थी संख्या 01 से 51 अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।
3. दिनांक 28.01.2026 को हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी के अनुसार वादग्रस्त भूमि का का नजरी नक्शा / राजस्व ट्रेस / जमाबंदी अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थी के पक्ष मे आदेश प्रदान करने की कृपा करावे एवं तहसीलदार किशनगढ को निर्देशित किया जावे कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना त्वरित गति से की जावे।
4. हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से ताईद है कि वादअधीन भूमि ग्राम ढाणी पुरोहितान स्थित भूमि खसरा संख्या 100 रकबा 0.0485 हैक्टेयर, खसरा संख्या 491/100 रकबा 0.0809 हैक्टैयर, खसरा संख्या 527/96 रकबा 0.4045 हैक्टेयर, खसरा संख्या 524/96 रकबा 0.3479 हैक्टैयर, प्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजी है तथा हल्का पटवारी के द्वारा दिनांक 22.02.2024 को वादअधीन भूमि का सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थी उक्त आराजी खसरा संख्या ग्राम ढाणी पुरोहितान स्थित भूमि खसरा संख्या 100 रकबा 0.0485 हैक्टेयर, खसरा संख्या 491/100 रकबा 0.0809 हैक्टैयर, खसरा संख्या 527/96 रकबा 0.4045 हैक्टेयर, खसरा संख्या 524/96 रकबा 0.3479 हैक्टैयर के रिर्कोडेड खातेदार काश्तकार होने से भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी हैं, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू.राज. अधि. को स्वीकार किया जाता है।

<u>आदेश</u>

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू.राज. अधि. को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम ढ़ाणी पुरोहितान स्थित भूमि खसरा संख्या 100 रकबा 0.0485 हैक्टेयर, खसरा संख्या 491/100 रकबा 0.0809 हैक्टैयर, खसरा संख्या 527/96 रकबा 0.4045 हैक्टेयर, खसरा संख्या 524/96 रकबा 0.3479 हैक्टैयर भूमि का मौके पर नाप चौप कर-पत्थरगढ़ी करने हेतु तहसीलदार किशनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वे मौके पर दोनो पक्षों की उपस्थिति में नाप चौप कर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर मौका

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

[illegible] प्रस्तुत करे। कमिश्नर फीस रूपये 2000/- अक्षरे दो हजार रू0 तय किये जाते है। तहसीलदार किशनगढ को कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये जातें है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा करवाने के उपरान्त समस्त पडोसी खातेदारान को सूचना पत्र जारी करने के उपरान्त मौके पर पत्थरगढी की कार्यवाही करें । पत्थरगढी की कार्यवाही में किसी भी प्रकार की बेदखली अथवा कब्जे छुडवाने से संबंधित कार्यवाही नहीं करें। यदि मौके पर प्रार्थी की भूमि अथवा निकटवर्ती राजकीय भूमि पर आंशिक या पूर्ण भाग पर किसी अन्य का कब्जा हो तो मौका पर्चा में इसका उल्लेख करते हुये प्रार्थी को नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु सूचित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 28.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

28/1/26

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़